राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी (मुद्रांक) संख्या –989, 990, 991/2015/अलवर

घीस्या पुत्र पांच्या जाति गुर्जर, निवासी ग्राम टोंडा जयसिंहपुरा,
तहसील राजगढ़, जिला अवलर .....**प्रार्थी.**

बनाम्

उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), अलवर .....**अप्रार्थी.**

निगरानी (मुद्रांक) संख्या –992,993/2015/अलवर

मोहन लाल पुत्र होफी जाति गुर्जर, निवासी ग्राम ककरालीरामपुरा,
तहसील राजगढ़, जिला अलवर .....**प्रार्थी.**

बनाम्

उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), अलवर .....**अप्रार्थी.**

एकलपीठ
मोहन लाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित : :

श्री हेमराज गुप्ता, रेखा गोयल
अभिभाषक। .....**प्रार्थीगण की ओर से.**

श्री आर.के. अजमेरा
उप–राजकीय अभिभाषकगण। .....**अप्रार्थी की ओर से**

निर्णय दिनांक : 18.02.2016

निर्णय

प्रार्थीगणों द्वारा उपर्युक्त निगरानी प्रार्थना पत्र कलक्टर (मुद्रांक), अलवर द्वारा प्रकरण सं 152/2014, 153/2014, 154/2014, 155/2014 एवं 156/2014 में पारित आदेश दिनांक 08.10.2014 के विरूद्ध राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 65 के तहत् प्रस्तुत किये गये। चुंकि सभी प्रकरणों में विवाद का समान विधिक बिन्दु निहित है। अतः सभी प्रार्थना पत्रों का निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जावें।

प्रकरणों के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैः–

1. प्रार्थीगणों ने दिनांक 18.07.2014 को अलग–अलग राशि के मुद्रांक प्रपत्र (गैर न्यायिक स्टॉम्प) अधिकृत मुद्रांक विक्रेता से क्रय किये एवं इन पर पांच पृथक–पृथक विक्रय पत्र टंकित करवाये। विक्रय दस्तावेजों पर विक्रेता एवं क्रेता के हस्ताक्षर/अंगुठा भी दिनांक 18.07.2014 को लगाकर दस्तावेज निष्पादित किये

18/02/16

लगातार.....2

गये। परन्तु पंजीयन हेतु उपपंजीयक के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये। दिनांक 21.09.2014 को अज्ञात कारणों से विक्रय संविदा निरस्त कर दी गयी एवं क्रेतागणों ने इस आशय का लिखित प्रमाण पत्र उक्त मुद्रांक पत्रों के पृष्ठ भाग में अंकित कर हस्ताक्षर किये एवं निरस्ती की तिथि अंकित की।

2. प्रार्थीगणों ने दिनांक 01.10.2014 को उपमहानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), अलवर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये एवं उक्त मुद्रांकों की राशि नियमानुसार प्रतिदाय (Refund) करने की मांग की। मूल गैर न्यायिक स्टॉम्प भी प्रार्थना पत्रों के साथ प्रस्तुत किये। कलक्टर (मुद्रांक) ने संक्षिप्त आज्ञा द्वारा दिनांक 08.10.2014 को प्रार्थना पत्र यह लिखते हुए अस्वीकार कर दिये कि आवेदन पत्र नियमों में विहित अवधि 2 माह के पश्चात् प्रस्तुत किये गये है एवं मियाद प्रार्थना पत्र में अंकित विलम्ब के कारणों बाबत् ठोस आधार अंकित नहीं है। कलक्टर (मुद्रांक) ने सभी पत्रावलियों में पत्र दिनांक 30.10.2014 से आवेदकों को उनके आवेदन पत्र अस्वीकृति की सूचना भी प्रेषित की।

3. कलक्टर (मुद्रांक), अलवर के उक्त आदेशों से व्यथित होकर निगरानी प्रार्थना पत्र 03.07.2015 को लगभग 8 माह पश्चात् इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये। मियाद अधिनियम की धारा 5 के तहत् विलम्ब क्षमा करने के प्रार्थना पत्र भी साथ में प्रस्तुत किये गये।

4. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री हेमराज गुप्ता एवं रेखा गोयल तथा राजस्व के विद्वान अधिवक्ता श्री आर.के. अजमेरा की बहस सुनी गयी। प्रार्थीगण की ओर से बहस में कहा गया कि रिफण्ड प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में केवल 13–14 दिन का विलम्ब नियमों की जानकारी नहीं होने के कारण हुआ। कलक्टर (मुद्रांक) का आदेश विस्तृत एवं आधार सहित पारित नहीं है। केवल लिपिक की टिप्पणी एवं प्रस्ताव पर **"खारिज"** शब्द लिखकर निर्णय कर दिया गया, जो उचित नहीं है। अतः निगरानी स्वीकार की जावें। कलक्टर (मुद्रांक) के आदेश अपास्त कर रिफण्ड की स्वीकृति जारी की जावें।

राजस्व के अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि कलक्टर (मुद्रांक) के आदेश दिनांक 08.10.2014 की प्रमाणित प्रति 01.04.2015 को प्राप्त की जाना रेकॉर्ड से सिद्ध है, जबकि प्रार्थीगण निर्णय की जानकारी दिनांक 11.06.2015 को होना विलम्ब क्षमा प्रार्थना पत्र में लिख रहे है। दुसरे अधिनियम की धारा 58 में खराब (Spoiled) हुए मुद्रांक पेपर की राशि प्रतिदाय करने के प्रावधनों में एवं धारा 59 में विभिन्न कारणों से खराब हुए अनुपायोगी मुद्रांक पत्रों के प्रतिदाय हेतु अवधि निश्चित है। नियमों में खराब/अनुपयोगी मुद्रांक पत्रों पर किसी एक पक्ष द्वारा

18/02/18

लगातार.....3

निष्पादान हो तो ही विहित कारणों एवं विहित समयावधि में प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों के आधार पर मुद्रांक राशि का प्रतिदाय अनुज्ञेय है। प्रस्तुत प्रकरणों में क्रेता एवं विक्रेता दोनों पक्षों ने विक्रय विलेखों पर हस्ताक्षर/अंगुठे अंकित कर रखें है। अतः दोनों पक्षों द्वारा दस्तावेज निष्पादन की स्थिति में उपयोग किये जा चुके मुद्रांक पत्रों का प्रतिदाय अनुज्ञेय नहीं है। अतः निगरानी अस्वीकार योग्य है।

5. हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं रेकॉर्ड का अवलोकन किया। अधिनियम की धारा 58 में खराब हो चुके मुद्रांक पत्रों की राशि प्रतिदाय किये जाने एवं धारा 61 व 62 में दुरूपयोग (Misused) होने से अनुपयोगी हो चुके मुद्रांक पत्रों की राशि प्रतिदाय करने के प्रावधान है। प्रावधानों के अध्ययन से स्पष्ट है कि खराब (Spoiled) अथवा दुरूपयोगित (Misued) मुद्रांक पत्रों पर किसी पक्ष के हस्ताक्षर नहीं होने या केवल एक पक्ष के हस्ताक्षर होने की दशा में ही रिफण्ड अनुज्ञेय हैं। जहां दोनों पक्षकारों ने निष्पादन स्वरूप हस्ताक्षर/अंगुठे चस्पा कर दिये हो, उस दशा में सौदा निरस्त होने के कारण प्रतिदाय देय नहीं है।

यदि दोनों के हस्ताक्षर/अंगुठे कर दिये गये हो तो ऐसे अनुपयोगी मुद्रांकों पत्रों का प्रतिदाय तभी अनुज्ञेय है, जब समान पक्षकारों ने समान मूल्य के दुसरे मुद्रांक पत्रों का उपयोग करते हए दस्तावेज निष्पादित कर दिया हो एवं इस कारण से पूर्व में निष्पादित मुद्रांक पत्र अनुपयोगी हो गये हो। प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्रों में यद्यपि कलक्टर (मुद्रांक) द्वारा प्रतिदाय प्रार्थना पत्र विलम्ब से प्रस्तुत करने के आधार पर नॉन–स्पीकिंग आदेश से अस्वीकार किये गये है, जो उचित एवं सराहनीय नहीं कहे जा सकते। परन्तु गुणावगुण का आधार विलम्ब नहीं है। दोनों पक्षों द्वारा निष्पादित मुद्रांक पत्र, सौदा निरस्त होने के आधार पर रिफण्ड योग्य नहीं है।

तद्नुसार विवेचन के आधार पर प्रार्थीगणों के निगरानी प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाते है।

निर्णय सुनाया गया।

10.04.16

(मोहन लाल नेहरा)
सदस्य